उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– 1302/एक–1–2012–5–1(48)/2006–163
लखनऊ :: दिनांक :: 03 नवम्बर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या–प्र0स0 474/एक–1/2008–5–1(48)/2008–78, दिनांक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तों के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या–68/तीन–2(6)/1979–राजस्व–1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या–68/3–2(6)/1979–रा0–1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ–5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गयी थी, पुनर्ग्रहण करते हुए हाईटेक टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं।

अनुसूची

क0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	विवरण/ प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	सदर	बिजनौर	निजामपुर मझिगवॉ	5स	0.126	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए हाईटेक टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु।
2					185स	0.231	
3				बरौना	57स	0.063	
4					94स	0.063	
5				हरिहरपुर	541	0.787	
6				देवामऊ	1	0.063	
7				यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ	131	0.055	
8					260स	0.063	
9					360स	0.378	
10				मुजफ्फरनगर घुसवल	558	0.025	
11					356स	0.051	
12					606स	0.063	
				योग	कुल 12 गाटा	1.968 हे0	

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

क्रमांक––2

संख्या— 1302 (1)/एक—1—2012—5—1(48)/2006—163, तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या—380/डीएलआरसी/10, दि 12 अक्टूबर, 2010 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियां कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट्ट पर तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—258/16 (1)-73-रा-1 दिनांक 9 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल रकबा 1.968 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर ऑकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या—888/एक—1/04—रा—1 दिनांक 14—9—2004 के अनुसार उक्त भूमि की नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूँजीकृत मूल्य की धनराशि लेखा शीर्षक "0029—भूराजस्व—800—अन्य प्राप्तियॉं—0 मालिकाना राजस्व—0806—प्रकीर्ण प्राप्तियॉं" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वांछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात ही भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को दिया जाय। प्रश्नगत भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

3. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या—प्र0स0474/एक—1—2008—5—1(48)/2008—78, दिनांक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया जाएगा तथा निर्धारित प्रारूप पर यथानिर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 1302 (2)/एक—1—2012—5—1(48)/2006—163, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2— आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4— उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5— निदेशक, मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, वाई0एम0सी0ए0कैम्पस, 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।